

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 114

राजस्व विभाग

दिनांक 20.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री मनजिन्दर सिंह जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में यह वायदा किया गया था कि सरकार अधिनियम लेकर आएगी, जिसके माध्यम से शक्ति सीधे नागरिकों के पास होगी;	राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है।
ख)	क्या यह सत्य है कि सरकार ने स्वराज के माध्यम से मोहल्ला सभाएं गठित की थी और उसके लिए बजट भी आवंटित किया था;	जी हाँ। वर्ष 2015-2016 में सभी 11 राजस्व जिलों को मिलाकर स्वराज फंड के अर्तगत 249.50 करोड़ (केपिटल हैड) तथा 3.30 करोड़ (जनरल हैड) में आवंटित किए गए थे।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016-2017 के दौरान 70 विधानसभा क्षेत्रों को 5-5 करोड़ रुपये आवंटित किये थे; और	जी नहीं।
घ)	यदि हाँ, तो इस राशि का क्या हुआ; और	उपरोक्त प्रश्न के आधार पर लागू नहीं।
ड)	स्वराज फंड तथा मोहल्ला सभा फंड की वर्तमान स्थिति क्या है।	उपरोक्त (ख) में दर्शाए गए आवंटित फंड 249.50 करोड़ में से 7005.67 लाख 31.03.2017 तक खर्च किया जा चुका है। तथा 17944.33 लाख अधिशेष है। जिसमें से 7236.87 लाख की प्रतिबद्ध देनदारी है।

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

Sub Divisional Magistrate-I (Hq)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054